न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांकः– निग – 453 – II 16

5

RA
ग्रा 1/16

(1) कलावती बेवा लाखन अहिरवार आयु लगभग 57 वर्ष,

(2) बाबूलाल पुत्र स्व.श्री लाखन अहिरवार आयु लगभग 42 वर्ष,

(3) बालकदास पुत्र स्व.श्री लाखन अहिरवार आयु लगभग 34 वर्ष,

(4) भगवानदास पुत्र स्व.श्री लाखन अहिरवार आयु लगभग 32 वर्ष,

समस्त निवासी ग्राम अनंतपुरा भगतनगर कॉलोनी के पास टीकमगढ़

तहसील व जिला–टीकमगढ़ (म0 प्र0)

.... पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

(1) राकेश मिश्रा तनय रामचरण मिश्रा आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी

भैरव मुहल्ला टीकमगढ़ तहसील व जिला–टीकमगढ़ (म0 प्र0)

1.16

(2) शेख रसीद पुत्र शेख सकूर मुसलमान आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी

कुमैदान मुहल्ला टीकमगढ़ तहसील व जिला–टीकमगढ़ (म0 प्र0)

(3) राज्य मध्यप्रदेश द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ तहसील व जिला–

टीकमगढ़ (म0 प्र0)

4– मोहल्ला अधिनायक ... निवासी ...
मल्ला टीकमगढ़ (म.प्र.) ....अनावेदकगण

<u>राजस्व पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा– 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के राजस्व प्रकरण क्रमांक 21/अपील/2013–2014 दिनांक 26.11.2015 के विरुद्ध।</u>

महोदय,

विनम्र प्रार्थना है कि पुनरीक्षणकर्तागण ने अपर कलेक्टर महोदय, टीकमगढ़ में वर्ष 2007 में पुनरीक्षण कार्यवाही तहसीलदार टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 1052/बी.121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2013 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे अपील इस आधार पर प्रचलित की थी कि उक्त अपील प्रकरण में

(5)

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-453-दो/2016 जिला टीकमगढ़ कलावती विरूद्ध राकेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 21/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 26-11-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28-01-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की	

3-1-19

सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31/1/19
सदस्य